



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1942 (श10)

(सं0 पटना 586) पटना, मंगलवार, 15 सितम्बर 2020

सं० अ०स०क०-05/1-12/2019-1715

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

14 सितम्बर 2020

विषय:- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से केवल 10वीं (मैट्रिक) में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु प्रोत्साहन राशि का वितरण शिक्षा विभाग द्वारा DBT के माध्यम से कराए जाने की स्वीकृति के संबंध में।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 10वीं (मैट्रिक) में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के प्रोत्साहन हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक योग्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्रा को एक मुश्त रु० 10,000 (रुपये दस हजार) प्रोत्साहन के रूप में दी जाती रही है। शिक्षा विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित समरूप योजना यथा मुख्यमंत्री मेधावृत्ति/छात्रवृत्ति योजना से उत्पन्न द्विरावृत्ति की संभावना के समाधान हेतु विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक- 05.02.2020 को गठित बैठक के निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से केवल 10वीं (मैट्रिक) में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु प्रोत्साहन राशि का वितरण शिक्षा विभाग द्वारा DBT के माध्यम से कराई जाएगी। बजट प्रावधान एवं व्यय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का रहेगा तथा वितरण शिक्षा विभाग द्वारा कराया जाएगा। विभाग द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत की जाएगी जिसका निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव द्वारा नामित शिक्षा विभाग के पदाधिकारी इस हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

2. योजना के लिए आवश्यक निधि का श्रोत :-

बजट-शीर्ष :- मांग संख्या-30 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-107-छात्रवृत्तियाँ, उपशीर्ष-0109- मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, विषय शीर्ष-34-02 प्रोत्साहन लघु शीर्ष-107- छात्रवृत्तियाँ (उप शीर्ष-0109-मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना)

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र में सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागों/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डा० अमीर आफाक अहमद फैजी,
संयुक्त सचिव—सह—निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 586-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>